FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिये प्राधिकृत अधिकारी गोपीचन्द गुप्ता – प्रार्थी

बनाम

श्री रामचरण बैरवा पुत्र श्री गरिबा बैरवा निवासी ग्राम सलेमपुर, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राज. – ऋणी व बंधककर्ता

मु.नं.–37/18 कि.मु.–अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु–28.03.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28-03-2018	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी/ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी से 20,00,000 रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पति आवासीय जो ग्राम–सलेमपुर, तहसील– सपोटरा, जिला–करौली, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 194.44 वर्गगज है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैः– पूर्व में आम रास्ता व श्री कमल बैरवा का मकान, पश्चिम में श्री रामकिशन पुत्र श्री जौहरी बैरवा का मकान, उत्तर मे श्री सोहन लाल बैरवा का मकान, दक्षिण मे श्री मोहन पुत्र श्री घमण्डी बैरवा का मकान है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 30.06.17 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.06.17 तक 17,63,803.00 (सतरह लाख तिरेसठ हजार आठ सौ तीन मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 30.10.17 को अप्रार्थी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 30.10.17 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त	

अत्तर्क

एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति जो ग्राम–सलेमपुर, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 194.44 वर्गगज है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैः– पूर्व में आम रास्ता व श्री कमल बैरवा का मकान, पश्चिम में श्री रामकिशन पुत्र श्री जौहरी बैरवा का मकान, उत्तर मे श्री सोहन लाल बैरवा का मकान, दक्षिण मे श्री मोहन पुत्र श्री घमण्डी बैरवा का मकान है, को अप्रार्थी ने प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली
28-03-2018